

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट) ।

अनुसूचि 14 - फारम संख्या 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..... से तक

जिला-बोकारो, वाद संख्या-05/2016-17

विश्वनाथ महतो एवं अन्य बनाम युगल महतो

देश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के स								
1	2	3								
15/02/23	आदेश इस वाद की कार्यवाही आवेदकगण विश्वनाथ महतो एवं अन्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड को जनसंवाद में समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। इस वाद में प्रथम पक्ष :- 1.विश्वनाथ महतो 2.रमेश महतो 3.कुलदीप महतो 4.रीतवरण महतो पिता-स्व० चामु महतो स्थायी ग्राम+पो०+थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो। वर्तमान पता-ग्राम-फुटलाही उर्फ बेन्दोटांड, पो०+थाना-कसमार, जिला-बोकारो। इस वाद में द्वितीय पक्ष:- युगल महतो, पिता-रामु महतो निवास ग्राम-गागी, टोला-भेलवाटांड पो०+थाना-पेटरावार, जिला-बोकारो। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>पोड़दाग</td><td>28</td><td>132</td><td>0.66ए०</td></tr></table> अपीलार्थीगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित आवेदन में उल्लेख है कि, वो पेटरवार प्रखण्ड के स्थायी निवासी है, किन्तु वर्तमान में मजबूरन फुटलाही ग्राम में अपने नानी घर में निवास कर रहे हैं, जो कसमार प्रखण्ड अंतर्गत आता है। आगे उल्लेखित करते हैं कि, उनकी खतियानी जमीन मौजा-पोड़दाग, खाता सं०-28, प्लॉट सं०-132, कुल रकबा-0.66ए० भूमि स्थित है। वर्णित भूमि उनके पूर्वज (परदादा) मनशा कुर्मी एवं लोबिन कुर्मी (उर्फ लेवना कुर्मी) के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है, जिसे कभी भी न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु उक्त भूमि की जाली कागजात बनाकर द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया गया है, जिस कारण अपीलार्थीगण सभी संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर उचित न्याय दिलाने एवं खतियानी रैयत के नाम लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	पोड़दाग	28	132	0.66ए०	20/03/23
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा							
पोड़दाग	28	132	0.66ए०							

उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष के युगल महतो, पिता-रामु महतो को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही कार्यालय पत्रांक-321 ए/रा0, दिनांक-17.06.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अपीलार्थीगण द्वारा समर्पित आवेदन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि, मौजा-पोड़दाग, खाता सं0-28, प्लॉट सं0-132, कुल रकवा-0.66ए0 भूमि को न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा अवैध कागजात बनाकर उसे हड़प लिया गया है, जिसका वर्तमान में उनके नाम से गलत जमाबंदी भी चल रही है, जिसे रद्द कर खतियानी रैयत के नाम से जमबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा, लिखित बहस एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा उल्लेखित की गई है कि, उनके पास वर्तमान में जो उपरोक्त भूमि उनके पास है, वो उनको अपीलार्थीगण के पूर्वज से खरिदगी प्राप्त है, जिसके बाद संबंधित भूमि की दाखिल-खारिज कर भूमि की लगान सरकार को नियमसंगत देते आ रहे हैं, जो सरकारी दस्तावेजों से साबित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद तथा तथ्यहीन है, जिस कारण इस वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा पत्रांक-554, दिनांक-08.09.2017 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि, मौजा-पोरदाग, खाता सं0-28, प्लॉट सं0-132, कुल रकवा-0.66ए0 भूमि रैयती खाते की है, जिसका जमाबंदी, पंजी-II के पृष्ठ सं0-1/65 पर युगल महतो, पिता-रामु महतो के नाम से कायम है, पंजी-II में किसी भी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है न ही केश संख्या दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 1973-74 से 2009-10 तक निर्गत पाया गया है। पुछताछ के क्रम में उक्त नाम के व्यक्ति का किसी ने जानकारी नहीं दी है।

उपर्युक्त विवेचना एवं प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा, संलग्न दस्तावेजों तथा अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन कर पाया कि, अपीलार्थीगण द्वारा आवेदांकित भूमि का मामला रैयती भूमि का है, जिसपर अपीलार्थीगण की जमाबंदी न कायम होकर द्वितीय पक्ष चल रहा है, जिससे यह मामला स्पष्ट रूप से स्वत्व का स्थापित होता है। अतः उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इसके साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।